

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

दिनांक: \_\_\_\_\_

क्रमांक-भूमि/एफ 7(ड) (498) डीएलबी/07/

—: अधिसूचना :-

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7-ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 व राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान आवासन मण्डल तथा स्थानीय निकायों की बकाया लीज राशि के ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :-

1. यदि बकाया राशि ही जमा करवाई जाती है तो देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. यदि वर्तमान बकाया राशि के साथ-साथ आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

इस हेतु दिनांक 30.06.12 तक आवेदन करना होगा तथा 30.09.12 तक लीज राशि का जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

यह अधिसूचना बजट वर्ष 2012-13 की घोषणा सं. 253 के क्रम में वित्त विभाग के सक्षम स्तर पर प्रदत्त अनुमोदन के अनुक्रम में जारी की जाती है।  
यह अधिसूचना भी सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

( ताराचन्द मीणा )

राजस्थान राज्य सचिव

दिनांक 01/07/2012

यह अधिसूचना राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7-ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 व राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान आवासन मण्डल तथा स्थानीय निकायों की बकाया लीज राशि के ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :-

1. विशिष्ट सहायक, मामंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
2. प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
6. उप शासन सचिव, (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. निदेशक, लेखक एवं मुद्रण विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी विशेषांक में प्रकाशनाय
10. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर
11. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
12. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान
13. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद पालिकाएं, राजस्थान।
15. सुरक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक